ट्रांसकोर्प इन्टरनेशनल लिमिटेड

CIN:L51909DL1994PLC235697
पंजीकृत कार्यालय :– प्लॉट न 3, एच. ए. एक पॉकेट, सेक्टर 18 ए, द्वारका, फेज–11, नई दिल्ली–10075
वेबसाइट : www.transcorpint.com, e-mail: grievance@transcorpint.com,
Phone : 91-11-30418901–05, Fax : 91-11-30418906

सूचना
(कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ)
विषय: कंपनी के इक्विटी शेयरों का आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमेट खाते में अनिवार्य अंतरण

यह सूचना कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित संशोधन के साथ पठित निवेशक शिक्षा और संरक्षा कोश प्राधिकरण (लेखाकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और रिफंड) नियम, 2016 ("नियम") के प्रावधानों के अनुसरण में प्रकाशित की जाती है।

अंशधारक कृपया ध्यान दे कि कम्पनी ने वर्ष 2014–15 से सम्बन्धित लाभांश जिसका दावा 7 वर्षों तक प्रस्तुत नहीं किया गया था, को आई.ई.पी.एफ. मे जमा करा दिया है। इससे सम्बन्धित समस्त अंशो को आई.ई.पी.एफ. से सम्बन्धित नियमो के अधीन अन्तरित कर दिया जाएगा।

नियमों में यथा निर्धारित विभिन्न अपेक्षाओं के अनुरूप, कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों को जिनके ऐसे शेयरो को जिनके लाभांश का लगातार सात वर्षों के लिए अथवा अधिक समय से दावा नहीं किया गया है, व्यक्तिगत तौर पर सूचित कर दिया है कि उनके उन शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमेट खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।

कंपनी ने ऐसे शेयरधारकों और आईईपीएफ प्रधिकारण के डीमैट खाते में अंतरण के लिये देय शेयरों का विवरण अपनी वेबसाइट **www.transcorpint.com** पर भी डाला है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे गैर भुनाये गये लाभांशों और आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किए जाने वाले शेयरों के विरण के सत्यापन के लिए **www.transcorpint.com** का सदर्भ लें।

यदि शेयरधारक उपरोक्त लाभांश का दावा करने में असफल रहते है कंपनी उक्त नियमों के अनुसार शेयरधारक के नाम में पंजीकृत कंपनी के अंतर्निहित इक्विटी शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमेट खाते में अंतरित करने की कारवाई की जाएगी। कृपया नोट कर लें कि बेदावा लाभांश राशि और उक्त नियमों के अनुसरण में आईईपीएफ में अंतरित शेयरों के संबंध में कंपनी किसी दावे के लिये जिम्मेदार नही होगी।

शेयरधारक कृप्या नोट कर लें कि दोनो बेदावा लाभांश और आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित शेयरों, ऐसे शेयरो पर अर्जित सभी लाभो सहित, यदि कोई है, का पुन: दावा आईईपीएफ प्राधिकरण से आईईपीएफ नियमो के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के उपरांत किया जा सकता है।

संबंधित शेयरधारक, जो भौतिक स्वरूप में शेयर धारण किए हुए है और जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किये जाने है, नोट कर लें कि कंपनी नियमानुसार आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में शेयरों के अंतरण के उद्देश्य के लिये उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्रों के बदले में डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी और उनके जारी होने पर मूल शेयर प्रमाणपत्र जो कि उनके नाम में पंजीकृत है स्वत: निरस्त हो जायेंगे और बेचने योग्य नहीं रहेंगे। शेयरधारक आगे नोट कर लें कि कंपनी द्वारा अपलोड किए गए विवरण का संज्ञान लिया जाना चाहिये और इसे नियमों के अनुसरण में आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में शेयरों के अंतरण के उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी किये जाने के संबंध में पर्याप्त सूचना माना जायेगा।

कम्पनी ने श्री दिलीप कुमार मोरवाल, (एसीएस 17572) कंपनी के सचिव को कंपनी द्वारा शेयरों के उक्त अंतरण / ट्रांसमिशन और आईईपीएफ प्राधिकरण से जुड़े अन्य मामले के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

किसी भी प्रश्न के मामले में कृप्या उन्मुक्त रूप से कंपनी को अथवा रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट– अलंकित असाइनमेंट, आर.टी.ए. डिविजन, 4ई / 2, झंडेवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055 (इंडिया) या कम्पनी के शेयर डिविजन ऑफिस में 5वी मंजील, ट्रांसकोर्प टॉवर, मोती डूंगरी रोड, जयपुर– 302004 पर संपर्क करें।

कृते **ट्रांसकोर्प इन्टरनेशनल लिमिटेड**
ह./–
दिलीप कुमार मोरवाल
समूह कम्पनी सचिव व नोडल अधिकारी

स्थान : जयपुर
दिनांक : 08.09.2022